भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता का न्यायालय गोड्डा

आर0ई0आर0 वाद सं0–12 / 2014–15

1. अंचल अधिकारी, गोड्डा
2. परिजात कुमार श्रीवास्तव ....वादी

बनाम्

रतन दास

साकिन–सत्यनगर गोड्डा...............प्रतिवादी

–:आदेश:–

03/06/23

अभिलेख उपस्थापित। विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता एवं विज्ञ सरकारी वकील को सुना। अभिलेखबद्ध कागजातो का अवलोकन किया।

वर्तमान प्रक्रिया अंचल अधिकारी गोड्डा सदर का पत्रांक–706 / रा0 दिनांक–16.10.2014 से प्राप्त हुआ है। अंचल अधिकारी गोड्डा ने उल्लेख किया है कि मौजा–गोढ़ीमाल थाना नं0–503, जमाबंदी नं0–50, दाग नं0–234, रकवा–00–01–00 एक कट्ठा धूर भूमि से संथाल परगना काश्तकारी पूरक अधिनियम 1949 की धारा 20 एवं 42 के तहत उक्त जमीन से रतन कुमार दास साकिन–सत्यनगर गोड्डा को उच्छेद करने के लिए लाया गया है।

अंचल अधिकारी गोड्डा सदर ने प्रतिवेदित किया है कि प्रश्नगत जमीन पर विपक्षी का अवैध रूप से मकान एवं चाहर दिवारी बना हुआ है।

प्रश्नगत जमीन का जमाबंदी रैयत महादेव प्रसाद मंजुमदार वल्द प्रशन्न कुमार मंजुमदार के नाम से सर्वे खतियान में दर्ज है।

उपरोक्त वाद में विपक्षी को उपस्थित होने हेतु नोटिश निर्गत किया गया है। जिसके आधार पर विपक्षी रतन कुमार दास इस वाद में उपस्थित होकर आवेदन एवं संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत किया तथा उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा आवेदन को संचालित करते हुए उपरोक्त प्रश्नगत जमीन मौजा–गोढ़ीमाल, थाना नं0–503 जमांबंदी नं0–50 दाग नं0–234 के अन्दर रकवा–00–01–00 एक कट्ठा धूर जमीन विपक्षी रविन्द्र नाथ घोष पिता–स्व0 निरंजन कुमार घोष साकिन–रामनगर (कानाडीह) थाना–गोड्डा वाले को वर्ष 1935 ई0 में जमांबंदी रैयत के वंशज जयन्ति वर्मा पुत्री स्व0 जगदीश प्रसाद श्रीवास्तव एवं धर्म पत्नी सुरेश प्रसाद वर्मा साकिन–गोड्डा टाउन स्वं रानी वाला देवी के पुत्र एवं पोती के द्वारा विपक्षी को आपसी परिवारिक बटवारा से प्राप्त हुआ है। बटवारा वाली जमीन कुर्फा बंदोबस्त के द्वारा रविन्द्र नाथ घोष को प्राप्त हुआ है रविन्द्र नाथ घोष उस कुर्फा वाली जमीन अपनी पुत्री श्री दिपाली घोष धर्म पत्नी श्री रतन कुमार दास साकिन–रामनगर गोड्डा को उपहार के रूप में दान स्वरूप दे दिया है उसी समय से श्रीमती दीपाली घोष पति–रतन कुमार दास मकान बना कर सपरिवार के साथ रह रहे है। उक्त मकान का शपथ पत्र नगर पंचायत गोड्डा का होल्डींग टेक्स रसिद उनके नाम बिजली कनेक्शन और बिजली का भुगतान कर बिजली बिल प्राप्त किया जा रहा है। विपक्षी विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा यह भी कथन है उनके एवं उक्त जमीन पर दखल कार एवं मकान के संबंध में जमाबंदी रैयत के वंशज जयन्ती वर्मा, पिता–स्व0 जगदीश प्रसाद श्रीवास्तव एवं धर्म पत्नी सुरेश प्रसाद वर्मा द्वारा बनाया गया शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसमे जमाबंदी रैयत के वारिसान शपथकर्त्ता द्वारा यह बात स्वीकार किया गया है विपक्षी को उक्त जमीन कुर्फा के आधार पर दिया गया है। जिसमे विपक्षी का मकान है वे सपरिवार बसोबास करते चले आ रहे है विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि उक्त जमीन का स्वरूप कृषि योग्य नहीं रह गया है। उसका स्वरूप बसौड़ी हो गया है। और मकान वाली जमीन पर संथाल परगना काश्तकारी पूरक अधिनियम 1949 की धारा 20 एवं 42 लागु नहीं हो सकता है।

03/06/23

विपक्षी विद्वान अधिवक्ता का इस संबंध में यह भी कथन है कि जमाबंदी रैयत के वंशज को प्रश्नगत जमाबंदी संख्या–50 के दाग नं0–49 पर सरिता देवी पति–गणेश पंडित का मकान अवस्थित होने के कारण आर0ई0आर0 वाद संख्या–01/2014–15 को वापस लेने का आवेदन दिया है। जिसके आधार पर यह स्पष्ट होता है कि जमाबंदी रैयत के वारिसानो को विपक्षी का उक्त प्रश्नगत जमीन पर मकान बने रहने से और बसोबास करने से उन्हे कोई आपत्ति नहीं है।

विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा श्रीमान उपायुक्त महोदय गोड्डा का न्यायालय का आर0एम0ए0–13/2017–18 भवानी देवी बनाम् परिजात कुमार श्रीवास्तव के मामले में पारित आदेश दिनांक–03.11.2021 का अभिप्रमाणित प्रति का छायाप्रति समर्पित करते हुए कहा है कि प्रश्नगत जमाबंदी नं0–50 के दाग नं0–234 के इसी तरह के मामले में श्रीमान उपायुक्त महोदय गोड्डा के द्वारा मकान बने रहने के कारण उक्त जमीन से अनुमंडल पदाधिकारी गोड्डा द्वारा उच्छेदी के आदेश को निरस्त करते हुए अपीलकर्त्ता भवानी देवी के अपील को स्वीकृत किया है। एवं उनके दखल कब्जा को बरकरार रखा है इस वाद में सरकार की ओर से सरकारी अधिवक्ता उपस्थित होकर कहा है कि प्रश्नगत जमीन पर विपक्षी का अवैध रूप से दखल कब्जा है एवं मकान बना हुआ है। प्रश्नगत जमीन के जमाबंदी रैयत नही है। इसलिए विपक्षी को उक्त जमीन से उच्छेद करना न्यायसंगत नहीं होगा। विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता एवं सरकारी वकील को सुनने एवं अभिलेख बद्ध कागजातो के अवलोकन से ये स्पष्ट है कि मौजा–गोढ़ीमाल, थाना नं0–503 जमाबंदी नं0–50 गत सर्वे सेटलमेन्ट पर्चा में महादेव प्रसाद मंजुमदार एवं प्रसन्न कुमार मंजुदार के नाम से खतियान में दर्ज है। विपक्षी के द्वारा उक्त जमाबंदी नं0–50 के दाग नं0–234 रकवा–00–01–00 धूर जमीन विपक्षी रतन कुमार दास के ससुर रविन्द्र नाथ घोष को कुर्फा से प्राप्त हुआ है। जिसे जमाबंदी रैयत के वंशज जयन्ति वर्मा पिता–श्री जगदीश प्रसाद श्रीवास्तव एवं धर्म पत्नी सुरेश प्रसाद वर्मा साकिन–गोड्डा ने अपने शपथ पत्र संख्या–6393 दिनांक–28.05.2002 ई0 में कुर्फा से प्राप्त हुआ है। एवं कुर्फा के आधार पर प्रश्नगत जमीन पर विपक्षी मकान बना कर निवास कर रहे है। अंचल अधिकारी, गोड्डा सदर से वर्तमान स्थिति का प्रतिवेदन की मांग की गई थी अंचल अधिकारी गोड्डा सदर ने अपने पत्रांक–595/रा0 दिनांक–20.05.2023 से प्रतिवेदित किया है कि मौजा–गोढ़ीमाल, थाना नं0–503, जमाबंदी नं0–50, दाग नं0–234, रकवा–00–01–00 एक कट्टा जमीन पर विपक्षी का मकान एवं चाहर दिवारी के साथ–साथ दखल कब्जा है ऐसी परिस्थिति में प्रश्नगत जमीन से उच्छेद करना न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में आवेदक का आवेदन अस्वीकृत किया जाता है आदेश की प्रति संबंधित अंचलाधिकारी गोड्डा को भेजे।

Digitally signed by MITHILESH KUMAR CHOUDHARY
Date: 2024.09.04 13:30:15 +05:30
Location: 192.168.29.124

लिखाया एवं शुद्ध किया

03.6.23

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
गोड्डा।

03.6.23

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
गोड्डा।